क्रम संख्या–55 (क)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, 31 मार्च, 2008 ई0
चैत्र 11, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–9

संख्या 33/XXVII(9)/स्टाम्प/2008
देहरादून, 31 मार्च, 2008

अधिसूचना

प0 आ0–51

चूँकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है;

अतः, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने की तारीख से वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रु0 20.00 (बीस) लाख की सीमा तक के ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक के पक्ष में निष्पादित भूमि के पंजीकृत बन्धक विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट देने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 88 वित्त/286–2008–100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।